

2018/00105

D

उप 170/78 उप
दि 8-5-18


सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
फूलियाकला (भीलवाड़ा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।
महोदयजी, पारबतक अलग धारा 136 LAAT

उपरोक्त विषयान्तर्गत विवेक है कि प्रार्थी खाना पिता गोकल बैरवा
जाति बैरवा निवासी, जयपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम...
चौधवापुरा पटवार मण्डल जयपुर के खाता संख्या 242 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति
बैरवा है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।


प्रार्थी खाना

सी.डी.
8.5.18

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री खाना पिता गोकल बैरवा की ग्राम चौधवापुरा प.0म0 जयपुर
के खाता संख्या 242 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी
की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।


सुरेश खोसला
पटवारी
प.0म0
जयपुर


भू.अ.नि. केशव सिंह
वृत्त 8-5-18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार अगियान
राजस्व टोक अदालत
"न्याय आपके द्वार-2018"

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री खाना पिता गोकल की ग्राम चौधवापुरा
प.0म0 जयपुर के खाता संख्या 242 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की
जाती है।

राजस्व टोक अदालत अगियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
फूलियाकला, जिला-भीलवाड़ा

उप 170/78 उप

आदेश केशव सिंह दि 8-5-18

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिवंशा के प्रार्थी श्री...
खाना पिता गोकल की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम चौधवापुरा प.0म0 जयपुर
के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 242 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है।
अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।




उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला
भीलवाड़ा